Presentation of 4th Report of Standing Committee On Rural Development and Panchayati Raj

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Speaker, Sir, I beg to present the Fourth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj on action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirty-seventh Report (17th Lok Sabha) on ?Rural Employment through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) ? An insight into wage rates and other matters relating thereto? (2023-24) pertaining to Department of Rural Development (Ministry of Rural Development).

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आइटम 18 और आइटम नम्बर 19, संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 दो बिल्स को इंट्रोड्यूश करने के लिए एक साथ लेते हैं । दोनों बिल्स एक ही हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों के इस विषय पर नोटिस प्राप्त हुए हैं । पूर्व में भी यह परंपरा रही है । वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी एवं वर्ष 1979 के टाइम भी, वर्ष 1981 के टाइम भी, वर्ष 1986 के टाइम भी अलग-अलग संविधान संशोधन और अन्य विधेयकों के समय भी, दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की परंपरा पूर्व में रही है । मेरा आग्रह है कि जो दल के नेता है, वे अपनी बात को संक्षिप्त में रखें । जब बिल आएगा, उस समय आप डिटेल मे चर्चा कर सकते हैं ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।